राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 123/2020
जीसीएमएस नम्बर – 2020/00192

ओमप्रकाश पुत्र जगदीश जाति महाजन निवासी बनवास तहसील बुहाना उप तहसील सिंधाना जिला झुंझुनूं।

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिंधाना उप तहसील सिंधाना जिला झुंझुनूं।
2. राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ जयपुर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ लाल कोठी योजना ज्योति नगर जयपुर।
3. सुशीला पत्नी ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी बनवास तहसील बुहाना उप तहसील सिंधाना।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत – नक्शा दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 04.04.2022

(1). प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत किया है कि–

1. यह कि ग्राम बनवास स्थित गत पैमाईस सं. 1999 में खसरा नम्ब 168 रकबा 50 बीधा 11 बिस्वा कब्रिस्तान के वास्ते सुन्नी वक्फ के नाम दर्ज था परन्तु उक्त खसरा नम्बर काफी बडा था। उसमें जिस भाग में क्रब बनी हुई थी के छोडकर शेष रकबा पर प्राईवेट व्यक्तियों के कब्जे थें जो उक्त भूमि को कास्त करते थे । मौके पर कब केवल करीब 3 बीधा में बनी हुई। शेष रकबें को विभिन्न व्यक्तियों भोला पुत्र रूपा, मूलचंद पुत्र भगवाना आदि कास्त करते थें यह भूमि कार्यालय राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ हवामहल जयपुर की सूचना दिनांक 23 सितम्बर 1665 में प्रकाशित विज्ञप्ति में बतौर सुन्नी दर्ज है। इसी विज्ञप्ति में यह भूमि प्राईवेट व्यक्तियों के कब्जे में दिखाई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:09:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

2. यह कि सं. 2004 में देश के दो राष्ट्र भारत–पाकिस्तान बनने पर भूमि पाकिस्तान से आये विस्थापितों को कास्त के लिए भारत सरकार के कस्टोडियन विभाग को दे दी। जिसकी जमाबंदी सं. 2012 में खसरा नम्बर 168 का मिन नम्बर 168/1 रकबा 5 बीधा कब्रिस्तान के नाम दर्ज है। शेष रकबा 45 बीधा 11 बिस्वा जिसका गत खसरा नम्बर 335/168 बना उक्त भूमि आसामल पुत्र राजूमल सिंधी, मूलचंद पुत्र भंवर सिंधी बहिस्सा बराबर की गैर खातेदारी में दर्ज है। जिन्होंने यह भूमि खसरा नम्बर 168 का रकबा 45 बीधा 11 बिस्वा उक्त भूमि पर काबिज व्यक्तियों को बेचान कर दिया। इस प्रकार इस प्रकार गत खसरा नम्बर 168 कब्रिस्तान का हिस्सा छोडकर विभिन्न व्यक्तियों की खातेदार में चला गया।

3.यह कि गत खसरा नम्बर 335/168 का रकबा 45 बीधा 11 बिस्वा का नई पैमाईश में खसरा नम्बर 159 रकबा 11.43 है0 बना एवं जिस भाग पर कब्रिस्तान थे उसके खसरा नम्बर 271/158 रकबा 0.80 है. बना परन्तु खसरा क्षेत्रफल मिलान में यह भूमि खसरा नम्बर 271/156 रकबा 0.80 है. दर्ज है। परन्तु खसरा नम्बर 271/156 कब्रिस्तान की कोई जमाबंदी नही है जिसकी सही जमाबंदी खसरा नम्बर 271/258 गै0मु0 कब्रिस्तान है।

4.यह कि गत खसरा नम्बर 168 रकबा 50 बीधा 11 बिस्वा का एक ही खेत था। हाल पैमाईश में कब्रिस्तान का खसरा नम्बर 271/158रकबा 0.80 है. तो सही दिखया गया है परन्तु शीट में कुल रकबा हाल खसरा नम्बर 256/1143 से बने मिन नम्बर 474/463 का 800 वर्गमीटर रकबा कब्रिस्तान में कोई कब्र नही थी व ना ही अब है यह भूमि प्रार्थी की खातेदारी का भाग है जो गलत रूप से कब्रिस्तान के खसरा नम्बर 271/158 में शीट में मिला दिया गया है।

5.यह कि खसरा नम्बर 519/156 रकबा 0.21 है. प्रार्थी की पत्नी अप्रार्थीयां संख्या 3 के नाम है। जिसमें करीब 900 वर्गमीटर भूमि में मौके पर कब्र बनी हुई है परन्तु यह रकबा प्रार्थी की पत्नी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 519/156 में शामिल कर दिया गया। जबकि मौके पर खसरा नम्बर 519/156 के 900 वर्गमीटर भूमि को शामिल कर कब्रिस्तान की चार दिवारी बनी हुई है। खसरा नम्बर 156/6 का मिन नम्बर हाल खसरा नपम्बर 271/158 में शामिल कर नक्शे में दिखाया गया है। जबकि उक्त रकबे में मौके पर कोई कब्र नही है व ना ही कबिस्तान की चार दिवारी में शामिल है। यह रकबा 800 वर्गमीटर मौके पर कब्रिस्तान भूमि बाहर है।

6.यह कि मौके पर कब्रिस्तान की भूमि का सीमा विवाद का फैसला सर्व प्रथम दिनांक 15.05.2012 को जिला पवक्फ बोर्ड [illegible] सचिव अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में किया गया था [illegible] कब्रिस्तान की भूमि की नपति कर पत्थरगढी कर दी गई थी। उसके बाद ग्राम पंचायत माकडो ने 386911 रूपये

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:09:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

खर्च दिनांक 10.10.2012 से 10.08.2013 तक कब्रिस्तान की भूमि पर चार दिवारी बना दी थी । उक्त दिांक 11.05.2012 उके फैसले व ग्राम पंचायत के निर्माण के दस्तावेजात की नकले पेश है।

7.यह कि राजनितिक द्वेष से शिकायत होने पर उपखण्ड अधिकारी बुहाना ने भूमि खसरा नम्बर 271/158 की नपती की सीमाज्ञान करवाया तो उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 22.07.2019 की पालना में गठित अधिकारियों की टीम ने भूमि खसरा नम्बर 271/158 की नपती की तो पाया गया कि खसरा नम्बर 271/158 में प्रार्थी ओमप्रकाश की पत्नी सुशीला की खातेदारी भूमि कब्रिस्तान की भूमि में शामिलकर डण्डा बनाया गया है। जिसमें मौके पर कब्र बनी हुई है। ओमप्रकाश एवं उसके खरीददार सत्यनारायण, राजेश, लीलाधर जांगिड ने करीब 720 वर्गमीटर भूमि पर पुख्ता मकान रखे है जो कब्रिस्तान की चार दीवारी से बाहर है।

8.यह कि प्रार्थी ने अपनी पत्नी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 519/156 की नपती का प्रार्थना पत्र दिया जिस पर पुनः भूमि खसरा नम्बर 519/156 व 271/158 की नपती श्रीमान तहसीलदार के आदेश दिनांक 26.02.2020 को की गई थी। तो मौके पाया गया कि प्रार्थी की पत्नी सुशीला की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 519/156 का 920 वर्गमीटर क्षेत्रफल कब्रिस्तान की चार दिवारी में शामिल किया गया है। जिसमें मौके पर कब्र बनी हुई है।

9.यह कि उपरोक्त दोनो रिपोर्ट से साबित है कि प्रार्थी का व उसके क्रेताओं का जो 720 वर्गमीटर पर अतिक्रमण बताया है जिसमें मौके पर कोई कब्र नही है गलती से कब्रिस्तान की भूमि खसरा नम्बर 271/158 में शामिल किया गया है एवं खसरा नम्बर 519/156 में जो 900 वर्गमीटर भूमि नी कब्रिस्तान की भूमि है।

अतः प्रार्थना पत्र जेर धारा 136 लण्ड रेवेन्यू एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि खसरा नम्बर 271/158 के उत्तर दिशा में स्थित खसरा नम्बर 519/156 का 900 वर्गमीटर रकबा जो कब्रिस्तान के डण्डे के अन्दर है वह शामिल करते हुए एवं खसरा नम्बर 271/158 का पूर्व का रकबा 750वर्गमीटर जो प्रार्थी एवं उसके केताओं के कब्जे में है एवं कबिस्तान की चार दीवारी से बाहर है खसरा नम्बर 271/158 के रकबे से कम किया जाकर खसरा नम्बर 519/158 का नक्शा दुरूस्त फरमाया जावे। तदनुसार खसरा नम्बर 519/156 का 900 वर्गमीटर का रकबा कम किया जाकर 1200 वर्गमीटर किया जावे एवं खसरा नम्बर 474/463 का रकबा 750 वर्गमीटर बढाया जाकर 0.1200 किया जावे।

(2). प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण को तलब किये गये। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से रोहित पोषवाल राजकीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:09:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री आबिद मुश्ताक, श्री मनु यादव एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया गया। जबाव हेतु काफी अवसर दिये जाने के बावजूद जबाव पेश नही किया गया ।

(3) अप्रार्थी संख्या 1 का जबाव निम्नानुसार पेश किया है —

1. यह है प्रार्थना पत्र का खण्ड न0 01 मे भूमि खसरा नं0 168 का गत पैमाईश का रिकार्ड सही होना स्वीकार है, शेष वक्फ बोर्ड से सम्बन्धित है।

2. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड 02 में जमाबन्दी संवत 2012 का विवरण रिकार्ड के अनुसार स्वीकार है। एवं ख0न0 168 का मिन नम्बर 335/168 रकबा 45 बीघा 16 बिस्वा भूमि पाकिस्तान से आये शरणार्थी आशामल पुत्र राजू सिंधी मूलचन्द पुत्र भंवर मल सिंधी की गैर खातेदारी में जमाबन्दी संवत 2012 के अनुसार दर्ज होना स्वीकार है।

3. यह कि प्रार्थना पत्र खण्ड न0 3 रिकार्ड के अनुसार स्वीकार है। गत ख0न0 335/168 का हाल पैमाईश ख0न0 156 बनना स्वीकार है। भूमि ख0न0 271/158 गै.मु. कब्रिस्तान रकबा 0.80 है0 की खातैदारी में दर्ज होना भी स्वीकार है। एवं उक्त भूमि पर पूरे रकबे पर वक्फ की चार दीवारी लगी हुई है। जिसका मौके पर 0.80 है0 पर वक्फ का चार दीवारी युक्त कब्जा है।

4. यह कि मौका स्थिति के अनुसार भूमि ख0न0 519/156 की भूमि का रकबा 0.0900 है0 कब्रिस्तान के डण्डे के अन्दार ख0न0 271/158 में मिलाकर डण्डा बनाया हुआ है। ख0न0 519/156 के मिलाये गये भू भाग पर मौके पर कब्र भी बनी हुई है। इससे प्रकट होता है कि रकबा 0.0900 है0 कब्रिस्तान का ही भाग रहा है। एवं कब्रिस्तान की खातेदारी का रकबा भी 0.80 है0 मौके पर पूरा हो जाता है। जबकि कब्रिस्तान के नाम से दर्ज भूमि ख0न0 271/158 का रकबा 0.0750 है0 प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 474/463 के शामिल मौके पर स्थित है जिसमें कोई कब्रिस्तान मौके पर नही है।

5. यह कि प्रार्थना पत्र खण्ड न0 05 स्वीकार है।

6. यह कि प्रार्थना पत्र खण्ड न0 06 वक्फ बोर्ड व ग्राम पंचायत से सम्बन्धित है।

7. यह कि प्रार्थना पत्र खण्ड न0 07 में उपखण्ड अधिकारी बुहाना के आदेश से मौका की नपती व रिपोर्ट करना स्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:09:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

8. यह कि प्रार्थना पत्र खण्ड न0 08 में दिनांक 26.02.2021 को मौका पर नपती करना व रिपोर्ट करना स्वीकार है। जिसके अनुसार सुशीला पत्नी ओमप्रकाश की खातेदारी भूमि ख0न0 519/156 का रकबा 920 वर्गमीटर कब्रिस्तान की चार दीवारी में शामिल पाया गया था जिसमें मौका पर कुछ भाग पर कब्रिस्तान भी पाये गये थे। एवं कब्रिस्तान की भूमि ख0न0 271/158 का रकबा 0.0750 है0 प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 474/463 के शामिल पाया गया था।

9. यह कि प्रार्थना पत्र खण्ड न0 09 स्वीकार है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि न्यायहित में विवाद के अन्तिम निस्तारण के लिए भूमि ख0न0 519/156 का रकबा 900 वर्गमीटर कब्रिस्तान की खातेदारी भूमि ख0न0 271/158 में शामिल कर नक्शा तरमीम किया जावे एवं ख0न0 271/158 का रकबा 0.0750 है0 भूमि ख0न0 474/463 में मिलाकर नक्शा तरमीम किया जाये। इस प्रकार भूमि ख0न0 271/158 का रकबा 0.8150 है0 व ख0न0 474/463 का रकबा 0.6007 है0 एवं ख0न0 517/156 का रकबा 0.1200 है0 किया जावे। इससे कब्रिस्तान के रकबे मे भी 150 वर्गमीटर की बढोतरी होगी राज्य सरकार के हित कोई नुकसान नही होगा।

(4). वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78, जमाबंदी संख्या 2075–78, जमाबंदी सं. 2075–78 , नक्शा ट्रेस तीन, सत्यप्रतिलिपि फर्द मौका दिनांक 26.02.2020, फोटों प्रति मु.नं. 65/2019 बउनवानी सरकार बनाम ओमप्रकाश अन्तर्गत 91 एलआरएक्ट निर्णय 24.06.2020, फोटो प्रति फर्द मौका दिनांक 11.05. 2012, फोटोप्रति मिलान क्षेत्रफल, फोटोप्रति भू–प्रबन्ध विभाग खतौनी रजिस्टर, फोटोप्रति जमाबंदी सं. 2043, 2033 पेश किए गए

(5). बहस सुनी गई।

(6) पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखिय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है। (1). जमाबंदी सं. 2012 में खसरा नम्बर 168 का मिन नम्बर 168/1 रकबा 5 बीधा कब्रिस्तान के नाम दर्ज है। शेष रकबा 45 बीधा 11 बिस्वा जिसका गत खसरा नम्बर 335/168 बना है कि आसाराम पिता राजुमल सिंधि, मूलचन्द पिता भंवरमल जाति सिंधि बहिस्सा बराबर [illegible] जाती रही है। एवं क्रेता दर्ज रिकॉर्ड है। खातेदारान द्वारा दीगर लोगो [illegible] गत ख0न0 335/168 का के नाम नामान्तरकरण के जरिए [illegible] /158 गै.मु. कब्रिस्तान रकबा 0. [illegible] हाल पैमाईश ख0न0 156 बनना है। [illegible] रकबे पर वक्फ की चार दीवारी 80 है0 की खातैदारी में दर्ज है। उक्त भूमि पर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:09:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

बनीहुई है। जिसका मौके पर 0.80 है0 पर वक्फ का चार दीवारी युक्त कब्जा है। जो
फर्द मौका दिनांक 26.02.2020 से होता है। (3) फर्द मौका 26.02.2020 के अनुसार
मौका स्थिति के अनुसार भूमि ख0न0 519 / 156 की भूमि का रकबा 0.0900 है0
कब्रिस्तान के डण्डे के अन्दार ख0न0 271 / 158 में मिलाकर डण्डा बनाया हुआ है।
ख0न0 519 / 156 के मिलाये गये भू भाग पर मौके पर कब्र भी बनी हुई है। इससे
साबित होता है कि रकबा 0.0900 है0 कब्रिस्तान का ही भाग रहा है। एवं कब्रिस्तान
की खातेदारी का रकबा भी 0.80 है0 मौके पर पूरा हो जाता है। जबकि कब्रिस्तान के
नाम से दर्ज भूमि ख0न0 271 / 158 का रकबा 0.0750 है0 प्रार्थी की खातेदारी भूमि
ख0न0 474 / 463 के शामिल मौके पर स्थित है जिसमें कोई कब्रिस्तान मौके पर नही
है। (4) दिनांक 26.02.2021 को मौके पर नपती करना व रिपोर्ट के अनुसार सुशीला
पत्नी ओमप्रकाश की खातेदारी भूमि ख0न0 519 / 156 का रकबा 920 वर्गमीटर
कब्रिस्तान की चार दीवारी में शामिल पाया गया था जिसमें मौका पर कुछ भाग पर
कब्रिस्तान एवं कब्रिस्तान की भूमि ख0न0 271 / 158 का रकबा 0.0750 है0 प्रार्थी की
खातेदारी भूमि ख0न0 474 / 463 के शामिल हो गया। (5) जबाव प्रस्तुत कर अप्रार्थी
संख्या 1 तहसीलदार निवेदन किया है कि भूमि ख0न0 519 / 156 का रकबा 900
वर्गमीटर कब्रिस्तान की खातेदारी भूमि ख0न0 271 / 158 में शामिल कर नक्शा
तरमीम किया जावे एवं ख0न0 271 / 158 का रकबा 0.0750 है0 भूमि ख0न0
474 / 463 में मिलाकर नक्शा तरमीम किया जाये। इस प्रकार भूमि ख0न0 271 / 158
का रकबा 0.8150 है0 व ख0न0 474 / 463 का रकबा 0.6007 है0 एवं ख0न0
517 / 156 का रकबा 0.1200 है0 किया जावे। इससे कब्रिस्तान के रकबे मे भी 150
वर्गमीटर की बढोतरी होगी राज्य सरकार के हित कोई नुकसान नही होगा।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को महत्वपूर्ण व सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित किया
है। अतः न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक फर्द मौका मय नजरी नक्शा
स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वाके
ग्राम बनवास स्थित भूमि खसरा नम्बर 519 / 156 रकबा 0.21 है. की दक्षिणी सीमा के
सहारे–सहारे (जिस तरफ कब्रिस्तान की दीवार [illegible] है।) रकबा 0.09 है. भूमि
कम की जाकर खसरा नम्बर 271 / 158 रकबा 0.8[illegible] [illegible] खसरा नम्बर 271 / 158 रकबा
किये जाने के आदेश दिये जाते है। (2) इसी प्रकार [illegible] कम किया जाकर गत खसरा
0.80 है. की पूर्वी सीमा की तरफ रकबा 0.0750 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:09:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

नम्बर 156/6/2 में शामिल किया जाकर उक्त गत खसरा नम्बर से वर्तमान जमाबंदी में बने खसरा नम्बरों में अनुपातिकरूप से रकबा बढाया जाने के आदेश दिये जाते है। फर्द मौका प्रदर्श– अ व नजरी नक्शा प्रदर्श –ब के अनुपातिक रकबा कम या ज्यादा किया जावेगा। (3) उक्तानुसार खसरा नम्बर 519/156 का रकबा 0.21 है. के स्थान पर रकबा 0.12 है., खसरा नम्बर 271/158 रकबा 0.80 है. के स्थान पर रकबा 0.8150है. (प्रदर्श –स)के अनुसार रहेगा। (4) प्रदर्श– " अ" "ब" व "स" निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि प्रदर्श– " अ" "ब" व "स" अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त कर तरमीम करे।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 04-04-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:09:57 IST
Reason: SelfAttested